

**SUMMARU TRIAL UNDER SECTION 263 THE CRIMINAL PROCEDURE CODE 1998**  
**IN THE COURT OF A.K. Gupta, JMFC Gohad Dist Bhind (M.P.)**

Case No.....Sum 68/18

Complaint or report madeon .....13-01-18

Name and address of the Complainant.....police station Malanpur.....

Name , parentage, caste and address of accused

सुखपाल पुत्र रामौतारसिंह भदौरिया उम्र 26 साल  
निवासी सब्जी मण्डी मालनपुर जिला भिण्ड म0प्र0

The offence, complainant of, and date of, its alleged commission

आप पर आरोप है कि दिनांक 13.01.18 को 17:15 बजे मुकाम पुलिस फायर ब्रिगेड आफिस के बगल वाली रोड मालनपुर पर बिना वैध अनुज्ञप्ति के अपने आधिपत्य में 24 क्वार्टर देशी मदिरा शराब विक्रय/परिवहन हेतु रखी।

ऐसा करके आपने आबकारी अधि0 1915 की धारा 34-1 (क) के अधीन दण्डनीय अपराध कारित किया।

क्या आपको उक्त अपराध स्वीकार है या प्रतिरक्षा चाहते हो।

हस्ता.

The plea of the accused and his examination (if any)

अपराध स्वीकार है। न्यून दण्ड से दण्डित करने का निवेदन है।

हस्ता.

The offence proved. If any and in case under clause(d) clause(f) clause(g) of sub section 260 the value of the property in respect of which the offence has been committed.

// निर्णय //

(आज दिनांक 11.05.18 को घोषित)

01. अभियुक्त के विरुद्ध आबकारी अधि० 1915 की धारा 34-1 (क) के अधीन दण्डनीय अपराध का अभियोग है। संक्षिप्त विचारणीय होने से समरी सीट पर अपराध विवरण पढ़कर सुनाये एवं समझाये जाने पर अभियुक्त ने स्वेच्छापूर्वक जुर्म/अपराध स्वीकार करना व्यक्त किया।
02. संक्षिप्त विचारण किया गया। अतः अभियुक्त की स्वेच्छापूर्वक स्वीकारोक्ति के आधार पर आबकारी अधि० 1915 की धारा 34-1 (क) के तहत आरोपी को दोषी ठहराया जाता है। उसकी पूर्व दोषसिद्धि के संबंध में अभिलेख पर कोई तथ्य मौजूद नहीं हैं।
03. अभियुक्त को आबकारी अधि० 1915 की धारा 34-1 (क) के तहत न्यायाल उठने तक की अवधि तक की सजा एवं रुपये 500/- शब्दों में पांचसौ रुपये के अर्थदण्ड से दण्डित किया जाता है। अर्थदण्ड न पटाये जाने पर सात का साधारण कारावास की सजा भुगतायी जावे।
04. जप्तशुदा सम्पत्ति शराब मूल्यहीन एवं मानव उपयोग हेतु हानिकारक होने के कारण अपील अवधि पश्चात् नियमानुसार नष्टकर व्ययनित की जावे। अपील होने की दशा में मान० अपील न्यायालय के आदेश का पालन किया जावे।

मेरे निर्देशन पर टंकित

(A.K.Gupta)

Judicial Magistrate First Class  
Gohad distt.Bhind (M.P.)

सामान्य जानकारी हेतु प्रतिलिपि  
(शासकीय / विधिक उपयोग हेतु अमान्य)

प्रति  
३५  
३५